

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

मथुरा, अम्बेडकरनगर, रायवरेली, शामली, चित्रकूट, इटावा, प्रयागराज तथा आगरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹ 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने हेतु किए गए अनुरोध के क्रम में निम्न तालिका के कालम-4 के अनुसार कुल ₹ 2,27,00,000/- (₹ दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरण/शर्तों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम	जनपद का नाम	भुगतान हेतु लम्बित दावे	आवंटित धनराशि ₹0 लाख में
1	2	3	4
1	मथुरा	76	38.00
2	अम्बेडकरनगर	32	16.00
3	रायवरेली	38	19.00
4	शामली	49	24.50
5	चित्रकूट	2	1.00
6	इटावा	66	33.00
7	प्रयागराज	82	41.00
8	आगरा	109	54.50
	योग	454	227.00

(₹ दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद चित्रकूट को पत्र दि० 08.06.2022 द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार दो फेल ट्रान्जैक्शन के विरुद्ध आवंटित किया गया है।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 2,27,00,000/- (रु० दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव,

संख्या- A001-2022-2023-001-R-one -10-2022-1051 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र0 शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- वित्त नियंत्रक, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-20/06/2022

प्रेषण संख्या:- 1069
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1069
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3800000 3800000	3800000 3800000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5450000 5464000	5450000 5464000
3	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3300000 3300000	3300000 3300000
4	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4100000 4114000	4100000 4114000
5	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1900000 1900000	1900000 1900000
6	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 1802000	1600000 1802000
7	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 500000	100000 500000
8	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2450000 2450000	2450000 2450000
	योग	वर्तमान प्रगामी	22700000 23330000	22700000 23330000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्ताइस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तैंतीस लाख तीस हजार


(अखिलेश प्रतापसिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी